रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० पोंख प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

पत्र के सम्बन्ध में जाच की गई। जिसके अनुसार अवलोकन किया कि ग्राम-पोंख के खाता 206 में प्रार्थी का नाम राजुसिंह पु० भगवानसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में वास्तविक नाम राजेन्द्रसिंह पु० भगवानसिंह दर्ज है अतः इनका नाम राजुसिंह के बजाय राजेन्द्रसिंह किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 1525 दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरूस्त किया जाना उचित है

23/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

15/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 23.11.2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	पोंख	2075-78	[illegible]	राजुसिंह पु० भगवानसिंह	राजेन्द्रसिंह पु० भगवानसिंह
02.	पोंख	2075-78	544	राजुसिंह पु० भगवान सिंह	राजेन्द्रसिंह पु० भगवानसिंह

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 23/11/2021

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1195-1196

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को भेजा ..... को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:17:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner